न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/110/2025 रजि0 न0 2025/293

अपीलार्थीः–

श्री डॉ नरेश कुमार वर्मा निवारी प्लॉट संख्या 75 स्कीम नं. 5, मंगल विहार, अलवर । 301001

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन संख्या 293879487354518 दिनांक 15.07.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया गया है ।
4. सूचना आवेदन के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.08.2025 को उपस्थित आवें।
6. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील 2025/1153 दिनांक 21.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा RTI online poral पर आवेदन संख्या 293879487354518 दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से वांछित सूचना संबंधित अभिलेख (आवंटन आदेश संख्या 4913 दिनांक 19.09.1975 कार्यालय उपखंण्ड अधिकारी बहरोड) के कार्यालय स्तर पर जमा रिकार्ड का अभाव पाया गया है तदानुसार ऑनलाइन पत्र संख्या 4318205557 दिनांक 25.07.2025 के माध्यम से वांछित सूचना संबंधित अभिलेख कार्यालय में जमा रिकार्ड कराये जाने का विवरण संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया प्रति संलग्न है जो कि अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में वांछित सूचना लगभग 50 वर्ष पुरानी सूचना होने के साथ ही विस्तृत जनहित से भी जुड़ी हुई नहीं होने व अपूर्ण विषिष्टीविहीन अभिलेख होने के कारण ऑनलाइन पत्र स. 1874673708 दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है प्रति संलग्न है । अतः प्रथम अपील प्रकरण नियमानुसार खारिज किये जाने योग्य है ।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑनलाइन पत्र स. 1874673708 दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
8. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)